

अद्यतन की तिथि 27.10.2023

नियमावली -7

कार्यान्वयन की नीति के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

[धारा 4 (1) (बी) (vii)]

क्र.सं.	सलाहकार समितियों / निकायों का नाम और पता	समिति / निकाय का गठन	भूमिका और जिम्मेदारी	बैठकों की प्रायिकता
1	भागीदारी बैठक / कार्यशालाएँ	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित इन बैठकों / कार्यशाला में दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था का हिस्सा संभालते हैं।	जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए।	अनिश्चित। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली द्वारा सूचना पे बुलाने पर।
2	जिला स्तरीय समितियाँ	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित इन बैठकों / कार्यशाला में दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था का हिस्सा संभालते हैं।	सरकार के बीच बातचीत द्वारा एजेंसियों, जनता और जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए।	तीन महीने में एक बार।
3	थाना स्तर की समितियाँ	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित इन बैठकों / कार्यशाला में दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था का हिस्सा संभालते हैं।	सरकार के बीच बातचीत द्वारा एजेंसियों, जनता और जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए।	दो महीने में एक बार।

जनता के साथ औपचारिक और सूचना परामर्श के लिए अपनाई गई अन्य प्रक्रियाओं को भी इंगित किया जा सकता है जैसे कि भागदारी, जन सुनवाई, निवासी कल्याण संघों के साथ बातचीत आदि।

क्र.सं.	सलाहकार समितियों / निकायों का नाम और पता	समिति / निकाय का गठन	भूमिका और जिम्मेदारी	बैठकों की प्रायिकता
1	अमन समितियाँ	उत्तर-पूर्वी जिला, दक्षिण-पश्चिमी जिला व पश्चिमी जिला द्वारा गठित	समुदाय के साथ साझेदारी में शांति बनाए रखना	आवश्यकता पड़ने पर।
2	सार्वजनिक बैठकें	निवासी कल्याण संघ, विधान सभा के सदस्य आदि के साथ सभी जिलों में आयोजित	समुदाय के साथ साझेदारी में शांति बनाए रखना	आवश्यकता पड़ने पर।
3	स्कूली बच्चों / कॉलेज के छात्रों की भागीदारी	सामुदायिक पुलिसिंग में स्कूल / कॉलेज के बच्चों को शामिल करना	छोटे बच्चों को बुनियादी सुरक्षा एहतियात के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया जाता	आवश्यकता पड़ने पर।

			है।	
4	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	मार्शल आर्ट और सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठ / नानक पुरा और दक्षिण-पश्चिम जिले की आत्मरक्षा अकादमी।	आत्मरक्षा का बुनियादी आधार देना।	आवश्यकता पड़ने पर।
5	सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा	सभी जिलों द्वारा चलाए गए अभियान	लोगों को बुनियादी सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताने के लिए।	आवश्यकता पड़ने पर।
6	वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल	सभी जिलों द्वारा चलाए गए अभियान	वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखना।	आवश्यकता पड़ने पर।
7	मानव समाज पुलिस अधिकारी / नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग करना	सभी जिलों द्वारा चलाए गए अभियान	कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए	आवश्यकता पड़ने पर।
8	बलात्कार संकट हस्तक्षेप केंद्रों का कामकाज	सभी जिलों द्वारा चलाए गए अभियान	बलात्कार पीड़िता की सहायता के लिए।	आवश्यकता पड़ने पर।
9	गोधूली	स्कूली बच्चों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को गोद लेना।	वरिष्ठ नागरिक का ख्याल रखना।	आवश्यकता पड़ने पर।
10	छात्र पुलिस सामुदायिक रक्षा कार्यक्रम	सभी जिलों में	वरिष्ठ नागरिकों को सेवक / किरायेदार सत्यापन लेने के लिए छात्र को शामिल करना।	आवश्यकता पड़ने पर।
11	आभास	मध्य जिले में स्थापित किया गया	वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना।	आवश्यकता पड़ने पर।
12	आकाश	उत्तर जिले में स्थापित	वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना।	आवश्यकता पड़ने पर।
13	निडर	पश्चिम जिले में स्थापित	वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना।	आवश्यकता पड़ने पर।
14	सामुदायिक रक्षा दल	उत्तर-पूर्व जिले में स्थापित	अपराध और अपराधियों का मुकाबला करने के लिए	आवश्यकता पड़ने पर।
15	नौकर / किरायेदार सत्यापन शिविर	दिल्ली में सभी जिला	नौकर / किरायेदार सत्यापन के लिए लगभग एक डोर टू डोर सुविधा प्रदान करने के लिए शिविर।	आवश्यकता पड़ने पर।
16	सुरक्षा मेला	दिल्ली में सभी जिला	कमजोर क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता	आवश्यकता पड़ने पर।
17	सुरक्षा सर्वेक्षण	दिल्ली में सभी जिला	उनकी सुरक्षा से संबंधित जन संपर्क कार्यक्रम।	आवश्यकता पड़ने पर।
18	क्षेत्र की पुलिसिंग योजना	दिल्ली में सभी जिला	अधिकतम नागरिक की	आवश्यकता

			भागीदारी को प्राप्त करना	पड़ने पर।
19	सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम	दक्षिण जिलों में स्थापित	वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना।	आवश्यकता पड़ने पर।
20	पुलिस पोस्ट " दोस्त "	उत्तर-पश्चिम जिला, मध्य जिला, पूर्वी जिला व पश्चिमी जिला में स्थापित।	समुदाय के सदस्यों के लिए सामुदायिक सेवा।	आवश्यकता पड़ने पर।